सोशल मीडिया सेल आजमगढ

पत्र सं.- 441/21 **दिनांक- 21 सितम्बर 2021**

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना मुबारकपुर

शादी का झांसा देकर बहला फूसला कर नाबालिंग लड़की को भगाने वाला गिरफ्तार, अप्रहृता बरामद

दिनांक 15.09.2021 को आवेदिका थाना मुबारकपुर ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दी की अभियुक्त राशिद पुत्र वादीस अली निवासी मोहल्ला नयापुरा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ मेरी नाबालिंग पुत्री को भगा ले गया। प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 178/2021 धारा 363,366 IPC विरूद्ध अभियुक्त राशिद पुत्र वादीस अली निवासी मोहल्ला नयापुरा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ पंजीकृत कर विवेचनात्मक कार्यवाही की जा रही थी जिसके क्रम में –

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे अभियान अपराध नियंत्रण व अपराधियो की गिरफ्तारी के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज कुमार पाण्डेय तथा स0पु0अ0/क्षेत्राधिकारी सदर अभिजित आर. शंकर के कुशल पर्वेक्षण में तथा थाना प्रभारी मुबारकपुर व0उ0नि0 डी0के0 सिंह की नेतृत्व में मामले को गम्भीरता से लेते हुए अभियुक्त की गिरफ्तारी व अप्रहृता की बरामदगी हेतु लगातार दविश दी जा रही थी तभी सूचना प्राप्त हुई कि अभियोग से सम्बन्धित अभियुक्त अपहृता को लेकर कही भागने के फिराक में रोडवेज चौराहा मुबारकपुर पर सवारी गाड़ी के इन्तेजार में खड़ा है कि सूचना पर मुबारकपुर पुलिस टीम द्वारा तत्परता करते हुए रोडवेज चौराहा मुबारकपुर के पास पहुंचे तो देखे कि एक व्यक्ति एक लड़की को अपना साथ में लिये रोडवेज चौराहा मुबारकपुर पर एकान्त स्थान पर खड़ा है इत्मिनान होने पर पुलिस टीम द्वारा एक बारगी दबिश देकर उस खड़े व्यक्ति को पकड़ लिया गया तथा उसके कब्जे से अपहृता को सकुशल बरामद किया गया । पकड़े गये व्यक्ति से नाम पूछने पर उसने अपना नाम मु0 राशिद पुत्र वादीस अली निवासी मोहल्ला नयापुरा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ बताया अभियुक्त को अपराध का बोध कराते हुए दिनांक- 21.09.2021 समय करीब 11.00 बजे हिरासत पुलिस मे लिया गया तथा अपहृता को कब्जा पुलिस में लिया गया।

पंजीकृत अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0- 178/2021 धारा 363,366 IPC थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

अभियुक्त मु0 राशिद पुत्र वादीस अली निवासी मोहल्ला नयापुरा थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी / बरामदगी करने वाली टीम का विवरण –

1. उ0नि0 रत्नेश कुमार दुबे, थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
2. हे0का0 रविन्द्र कुमार सिंह, थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
3. का0 सद्दाम हुसैन अंसारी, थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
4. म0का0 चन्दा कुशवाहा, थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़
5. म0का0 आशा यादव, थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़

थाना-मेहनाजपुर

दो अदद अवैध तमंचा व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एव वांछित,ईनामिया अभियुक्तो की गिरफ्तारी एवं अवैध असलहो की तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक नगर पंकज पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी लालगंज के कुशल निर्देशन में उ0नि0 अतीक अहमद द्वारा देखभाल क्षेत्र करते हुए मेहनाजपुर बाजार मे मौजूद थे कि जरिये मुखबीर खास सूचना मिली की सकिया बकिया गाँव में राम इलोक्ट्रानिक दुकान वाला रामकुमार पुत्र देवसरन अवैध तमन्चा बेचता है | इस समय वह अपने दुकान पर है | उसके पास अवैध तमं चा व कारतूस है । इस सूचना पर उ0नि0 अतीक अहमद ने क्षेत्र मे रवानाशुदा उ0नि0 सुधीर पाण्डेय को जरिये मोबाइल ग्राम सकिया बकिया में आने के लिए बतलाकर सकिया बकिया पहुचे , थोड़ी ही देर में उ0नि0 सुधीर पाण्डेय मय हमराह का0 गुलाब यादव भी आ गये | आपस मे सलाह मशवरा कर एक बारगी राम इलेक्ट्रिक की दुकान पर पहुचे दुकान पर पहुच कर दुकान पर खड़े व्यक्ति से नाम पता पूछ ने पर राम कुमार पुत्र देवसरन ग्राम निहुला थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ बताया मौके पर तलाशी लेने पर उसके पास से दो अदद अवैध तमंचा व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ। तमंचे के सम्बन्ध में कड़ाई से

पुछताछ करने पर बताया कि मै कुछ देर में दुकान बंद कर जाते समय रास्ते में इन दोनो तमंचो को बेच देता। बरामदगी व गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0-88/21 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

राम कुमार पुत्र देवसरन ग्राम निहुला थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0- 88/21 धारा 3/5/25 आर्म्स एक्ट थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

विवरण बरामदगी

दो अदद देशी तमंचा व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर।

गिरफ्तार/बरामदगी करने वाली टीम

1. उ0नि0 अतीक अहमद थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़।

2. उ0नि0 सुधीर पाण्डेय थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़।

3. का0 गुलाब यादव थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़।

थाना-बिलरियागंज

अवैध तमंचा के साथ अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा अपराध नियंत्रण एंव वांछित,ईनामिया अभियुक्तो की गिरफ्तारी एवं अवैध असलहे की तस्करी पर प्रभावी नियंत्रण हेतु चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण जनपद आजमगढ़ व क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल नेतृत्व में आज दिनांक 21.09.2021 को उ0नि0 ओम प्रकाश यादव थाना बिलरियागंज मय फोर्स द्वारा वांछित/वारण्टी अपराधी के गिरफ्तारी हेतु कासिमगंज बाजार में मौजूद थे कि जरीये मुखबिर सूचना मिली कि एक व्यक्ति ब्लाक गेट सामने खड़ा हैं उसके पास अवैध तमंचा हैं इस सूचना पर उ0नि0 मय हमराह के कासिमगंज से प्रस्थान कर ब्लाक गेट के पास पहुँचे कि एक व्यक्ति तेज कदमो से ब्लाक गेट के अन्दर जाने लगा कि पुलिस बल द्वारा एक बारगी घेर घार कर गेट के अन्दर करीब 20 कदम जाते जाते समय 9.50 बजे पकड़ लिया गया । पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछ ने पर उसने अपना नाम अंकित तिवारी पुत्र महेन्द्र प्रताप तिवारी निवासी ग्राम माधोपुर सिंघवारा थाना महराजगंज जपनद आजमगढ़ बताया । मौके पर त लाशी से उसके पास से एक अदद तमंचा .12 बोर बरामद हुआ । बरामदगी एवं गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- धारा 3/25 आयुद्य अधि0 पंजीकृत कर अन्य विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त

अंकित तिवारी पुत्र महेन्द्र प्रताप तिवारी निवासी ग्राम माधोपुर सिंघवारा थाना महराजगंज, जपनद आजमगढ़।

बरामदगी

एक अदद तमंचा .12 बोर।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 163/2021 धारा 3/25 शस्त्र अधि0 थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण

1. उ0नि0 ओमप्रकाश यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
2. का0 नितिन कुमार थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
3. का0 रविन्द्र यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

थाना- रानी की सराय

छेड़खानी का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

दिनांक 20/9/2021 को वादिनी थाना रानी की सराय जनपद आजमगढ ने थाने पर आकर लिखित तहरीर दी कि दिनांक 19/9/2021 को समय 9.00 रात्रि को अभियुक्त गोरख राजभर पुत्र गणपति राजभर निवासी ग्राम शाहखजुरा थाना रानी की सराय , आजमगढ़ मेरे घर आकर मेरे साथ छेड़खानी करते हुए मुझे पकड़ लिया। वादिनी के तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 114/21 धारा 354 भादवि विरुद्ध गोरख राजभर पुत्र गणपति राजभर निवासी ग्राम शाहखजुरा थाना रानी की सराय , आजमगढ़ पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा महिलाओं से सम्बन्धित अपराध मे वांछित /वारण्टी की गिरफ्तारी के तहत चलाये जा रहे अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक नगर व क्षेत्राधिकारी नगर के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक के नेतृत्व मे उ0नि0 अनुपम जायसवाल मय हमराहियान फोर्स के पूर्वांचल महाविद्यालय गोवरही के सामने से मु0अ0सं0 114/2021 धारा 354 भा0द0वि थाना रानी की सराय आजमगढ से सम्बन्धित अभियुक्त गोरख राजभर पुत्र गणपति राजभर निवासी ग्राम शाहखजुरा थाना रानी की सराय, आजमगढ़ को पकड़ लिया गया तथा कारण गिरफ्तारी बताकर दिनांक 21.09.21 समय करीब 10.45 बजे सुबह गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 114/2021 धारा 354भा0द0वि थाना रानी की सराय आजमगढ

गिरफ्तार अभियुक्त–

गोरख राजभर पुत्र गणपति राजभर निवासी ग्राम शाहखजुरा थाना रानी की सराय, आजमगढ़

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

उ0नि0 अनुपम जायसवाल, का0 अजीत यादव, का0 आलोक कुमार

थाना- महराजगंज

01 वारंटी गिरफ्तार

वाछिंत/ वारंटी के सम्बन्ध मे चलाये जा रहे अभियान के क्रम मे **पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह** द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम मे **अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण** व **क्षेत्राधिकारी सगड़ी** के कुशल नेतृत्व मे **प्रभारी निरीक्षक गजानन्द चौबे** के नेतृत्व में दिनांक 21.09.21 को SI (UT) योगेन्द्र प्रसाद मय हमराह ईगल मोबाईल हे0का0 अनिरुद्ध यादव व का0 विनय प्रसाद के मु0नं0 44/17 धारा 128 जा0फौ0 व मुकदमा नं0 626/2015 अन्तर्गत धारा 125 द0प्र0सं0 से सम्बन्धित 01 नफर वारंटी मुखराम मौर्य पुत्र त्रिवेणी मौर्य साकिन कोलहटा कमाल हूसेपुर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़ को उसके घर से समय करीब 07.25 बजे सुबह गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0नं0 44/17 धारा 128 जा0फौ0 व मुकदमा नं0 626/2015 अन्तर्गत धारा 125 द0प्र0सं0

गिरफ्तार अभियुक्त –

अभियुक्त मुखराम मौर्य पुत्र त्रिवेणी मौर्य साकिन कोलहटा कमाल हूसेपुर थाना महराजगंज जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

SHO गजानन्द चौबे के नेतृत्व मेंSI (UT) योगेन्द्र प्रसाद मय हमराह हे0का0 अनिरुद्ध यादव व का0 विनय प्रसाद

थाना बिलरियागंज

46 किलो0 500 ग्राम गोमांस बरामद

पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह के कुशल निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगड़ी के कुशल नेतृत्व में उ0नि0 राकेश चन्द्र त्रिपाठी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ आज दिनांक 21.09.2021 को मय फोर्स के जैगहा बाजार में मौजूद थे कि जरिये मुखबिर खास सूचना मिली कि ग्राम शेखूपुर में मो 0 फहद के हाते में कुछ लोग मिलकर गोमाँस

काटकर बेच रहे हैं **सूचना पर** विश्वास करके **पुलिस टीम** मुखबिर के जैगहा से प्रस्थान कर शेखूपुर पहुँ ची शेखूपुर गाँव के फहद के हाता के करीब पहुँचे कि मुखबिर इशारा कर हट बढ गया पुलिस **टीम** हिकमत अमली से फहद के हाता के पास पहुँची कि पुलिस **टीम** को आता देखकर मौके से **1.** फहद पुत्रबदरूद्दीन, 2. मिस्टर पुत्रसमसुद्दीन, 3 सौकत पुत्रइम्तियाज 4. अलकमर पुत्र मो0 सफीक निवासी गण शेखूपुर थाना बिलरियागंज आजमगढ़ तथा दो व्यक्ति और नाम पता अज्ञात मौके से भागने लगे पुलिस **टीम** द्वारा काफी पीछा किया गया किन्तु वह सभी भागने में सफल रहे। भागने वाले उपरोक्त लोगो को बीट के आरक्षियों ने पहचाना और नाम पता उपरोक्त बताया, फहद के हाते के अन्दर पहुँ चे तो वहाँ पर एक प्लास्टिक के चट्टे पर भारी माँत्रा में ताजा कटा हुआ गोमांश खुन लगा हुआ एक अदद चापड़ मिला, तराजू बाट मंगवाकर वजन करवाया गया तो कुल 46 किलोग्राम 500 ग्राम गोमांस पाया गया। यह कार्य अन्तर्गत धारा 3/5/8 गोवध निवारण ACT. का अपराध हैं बरामद माल समय करीब 06.10 बजे कब्जा पुलिस में नियमानुसार लिया गया। अन्य वैधानिक कार्यवाही अमल मे लायी जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-

मु0अ0सं0 162/2021 धारा 3/5/8गोवध निवारण अधि0 थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ बनाम 1. फहद पुत्रबदरूद्दीन, 2. मिस्टर पुत्रसमसुद्दीन, 3 सौकत पुत्रइम्तियाज 4. अलकमर पुत्रमो0 सफीक निवासी गण शेखूपुर थाना बिलरियागंज आजमगढ़ तथा दो व्यक्ति और नाम पता अज्ञात।

बरामदगी-

बरामदगी 46 किलो0 500 ग्राम गोमाँस

बरामदगी करने वाली टीम का विवरणः-

1. उ0नि0 राकेश चन्द्र त्रिपाठी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
2. उ0नि0 ओमप्रकाश यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
3. हे0का0 शकील अहमद थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
4. का0 प्रमोद कुमार यादव थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
5. का0 राकेश तिवारी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।
6. का0 अनिल थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़।

नोट-जनपद आजमगढ़ के समस्त थाना द्वारा शान्ति व्यवस्था हेतु कुल 22 व्यक्तियों के विरूद्ध 151 सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी है।